प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–08.03.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अधिवेशन भवन सभागार, पुराना सचिवालय, पटना में आयोजित राजस्व संग्रहण संबंधी विषय पर सभी अंचलाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– यथा पंजी अनुसार।

बैठक की शुरुआत में प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात, विभाग के मुख्य विषय पर अंचलवार/एजेंडावार समीक्षा शुरु की गयी। समीक्षा में दिये गए मुख्य निदेश निम्नवत हैं–

1. <u>दाखिल–खारिज</u> :– पी0पी0टी0 के माध्यम से समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ अंचलों में दाखिल–खारिज निष्पादन की स्थिति अत्यंत निराशाजनक है। यथा–बथानी, गोरौल, इस्माइलपुर, बरहरा, एवं बोधगया में दाखिल–खारिज वाद के मामले अत्यधिक लंबित पाये गये। इन अंचलों के अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे लंबित मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन करना सुनिश्चित करें। साथ ही, प्रधान सचिव द्वारा इस मामले में किसी भी प्रकार की समस्या हेतु अंचलाधिकारी को निदेश दिया कि समाहर्त्ता के माध्यम से मुख्यालय को पत्र प्रेषित कर सकते है।

राजस्व संग्रहण संबंधी समीक्षात्मक बैठक में चानन, बक्सर सदर, संझौली, लखनौर, कहलागाँव, बनमा इटाढ़ी, महिषी, सलखुआ, सोनवर्षा, निर्मली, कटिहार सदर, प्राणपुर, किशनगंज सदर, बरहरा कोठी, बनजरीया, बनकटवा, ढाका, कल्याणपुर, रामगढ़वा, मुरौल, सरैया, राघोपुर, गौनाहा एवं भोरे के अंचलाधिकारी बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाये गये। अनुपस्थित अंचल अधिकारियों से इस संबंध में संबंधित जिला के समाहर्त्ता कारणपृच्छा पूछते हुए प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ उपलब्ध करायेंगें।

2. <u>परिमार्जन प्लस (Digitized Jamabandi & Left out Jamabandi)</u> :- समीक्षा के क्रम में परिमार्जन प्लस के मामलों में बायसी, काराकाट, मोदनगंज, अरेराज एवं सोनभद्र–बंशी–सुर्यपुर अंचलों में अत्यधिक मामले लंबित पाये गयें। 50 प्रतिशंत से कम निष्पादन करने वाले अंचलों के विरुद्ध प्रधान सचिव ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। छूटी हुई जमाबंदी के सुधार हेतु पतरघट, गोरौल, टेटिया बंबर, कोटवा एवं मोतिहारी अंचलों को विशेष प्राथमिकता के साथ लंबित मामलों को निपटाने का निदेश दिया गया।

3. <u>ई– मापी</u> :– समीक्षा के क्रम में पाया गया की बरहट, रतनीफरीदपुर, बासोपट्टी, मधेपुर, तरारी अंचलों में ई–मापी की दर औसत से काफी कम हैं। स्पष्ट किया गया कि केवल ऑनलाईन मापी ही मान्य होगी। आवेदन और भुगतान (Online Payment) की प्रक्रिया पुरी तरह डिजिटल होगी।

अंचलों में उपलब्ध अमीनों का सदुपयोग सुनिश्चित करें ताकि आवेदनों का निपटारा समय सीमा के भीतर हो सके।

4. <u>राजस्व संग्रहण</u> :– राजस्व वसूली के लक्ष्य के आधार पर राज्य के शीर्ष 50 अंचलों और सबसे कम प्रदर्शन करने वाले 50 अंचलों की वर्तमान स्थिति को आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसमें पाया गया कि कई अंचलों का प्रदर्शन लक्ष्य के मुकाबले अत्यंत कम है।

चिन्हित अंचल–अधौरा, थरथरी, नौहट्टा, चानन, अस्थावां अंचलों में संग्रहण लक्ष्य के 10 प्रतिशत से भी कम है। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि भू–लगान वसूली सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं

में शामिल है और इसका निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निदेश दिया कि लगान वसूली में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने लगान वसूली में अच्छा करने वाले अंचलाधिकारियों की तारीफ भी की, संबंधित पदाधिकारियों से कारण पूछते हुए निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य प्राप्ति के कड़े निदेश दिये।

सचिव, श्री जय सिंह के द्वारा निदेश दिया गया की डिफाल्टर लिस्ट (बकायेदारों की सूची) का अविलंब प्रकाशन किया जाय। साथ ही किसी भी प्रकार की सुनवाई से पूर्व राजस्व (लगान) वसूली को प्राथमिकता दी जाए।

5. अन्यः– समीक्षा के दौरान अंचलों की Office environment की स्थिति अत्यंत अव्यवस्थित (Mis Managed) पायी गयी, कार्यालय परिसर में गंदगी एवं धूल जमा होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई। कार्यालय के रिकार्ड और फाईलों के रख रखाव की स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी, जिस पर असंतोष व्यक्त किया गया।

संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे उपलब्ध Allotment का समुचित उपयोग करते हुए कार्यालय की साफ–सफाई सुनिश्चित करें, ताकि कर्मचारियों को बेहतर वातावरण में काम करने का अवसर मिल सके और आम लोगों के कार्य समय पर हो सकें।

राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए डिजिटल डायरी की व्यवस्था लागू की जा रही है। यह डायरी राजस्व कर्मचारियों और अमीनों दोनों के लिए होगी, जिसमें उनके द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

9/4/26

(आजीव वत्सराज)
अपर सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–10/सम0 (बैठक कार्यवाही)–11/2026–– 412 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक – 09/04/2026

E-mail

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्त्ता, बिहार/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार/ सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार/सभी अंचलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.4.26

(देवेश कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (बैठक कार्यवाही)–11/2026– 412 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक –09/04/2026

प्रतिलिपि–निदेशक, तीनों निदेशालय/सभी अपर सचिव/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.4.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (बैठक कार्यवाही)–11/2026– 412 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक –09/04/2026

प्रतिलिपि–माननीय उप मुख्यमंत्री–सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कोषांग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.4.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।